संख्या-14/331/2022/डी0एफ0ए0/298930/001-38-6099-99-17-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मेंए

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0ए लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ- दिनांक-02 अगस्त, 2022

विषय:- स्टार्टअप विलेज इण्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर, चन्दौली, जालौन, हमीरपुर, बहराइच, बांदा, फतेहपुर, आजमगढ, वाराणसी, खीरी, बिजनौर एवं प्रयागराज के चयनित विकासखण्डों हेतु वित्तीय वर्ष-2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2022/डी0एफ0ए0/267898/001-38-6099-99-17-2022, दिनांक-01.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्टार्टअप विलेज इण्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर, चन्दौली, जालौन, हमीरपुर, बहराइच, बांदा, फतेहपुर, आजमगढ, वाराणसी, खीरी, बिजनौर एवं प्रयागराज के चयनित विकासखण्डों हेतु केन्द्रांश रू0-444.60 लाख अवमुक्त किया गया है।

2. स्टार्टअप विलेज इण्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0-444.60 लाख विषयक उक्त शासनादेश दिनांक-01.06.2022 वित्त विभाग की सहमति से लेखानुदान अवधि में एनआरएलएम हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष जारी किया गया था। तत्समय नियमित बजट आंवटित हो जाने एवं स्टार्टअप विलेज इण्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) हेतु अलग लेखाशीर्षक के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्था होने के कारण उक्त योजना हेतु शासनादेश दिनांक-01.06.2022 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0-444.60 लाख आहरित नहीं हो सका।

3. वर्णित स्थिति के दृष्टिगत एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में स्टार्टअप विलेज इण्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर, चन्दौली, जालौन, हमीरपुर, बहराइच, बांदा, फतेहपुर, आजमगढ, वाराणसी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

खीरी, बिजनौर एवं प्रयागराज के चयनित विकासखण्डों हेतु अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0-444.60 लाख विषयक शासनादेश संख्या-07/2022/डी0एफ0ए0/267898/001-38-6099-99-17-2022, दिनांक-01.06.2022 को निरस्त किया जाता है।

4. कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय.व्ययक) अनुभाग.1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।